10-11-14	पत्रावली पेश हुई / ~~वकील वादी~~ / वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब ~~दौरे पर है।~~ ~~अवकाश पर है / का स्थानान्तरण~~ ~~हो गया है।~~ अत: पत्रावली दि० 11-12-14 को पेश हो। रीडर
11-12-14	वकील उभयपक्ष उप० है। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि० 22-1-15 को पेश हो।
22-1-15	पत्रावली पेश हुई / ~~वकील वादी~~ / वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब (चुनाव कार्य में व्यस्त है।) ~~दौरे पर है। अवकाश पर है / का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली दि० 26-2-15 को पेश हो। रीडर
26-2-15	वकील उभयपक्ष उप० है। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि० 9-4-15 को पेश हो।
9-4-15	वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि० 16-4-15 को पेश हो।
16-4-15	वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि० 14-5-2015 को पेश हो।
14-5-15	पत्रावली पेश हुई / ~~वकील वादी~~ / वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब (अन्य कार्य में व्यस्त है।) ~~दौरे पर है। अवकाश पर है / का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली दि० 3-6-15 को पेश हो। रीडर 1661-65 26/5/15
3-6-15	पत्रा० आज लोक अदालत शिविर खेड़ा बादरामगढ़ पर पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि पक्षकारों ने भूमि का विभाजन आपसी सहमति से तहसीलदारजी के यहां करवा लिया है इसलिए दावा वादी वापस लेने की अनुमति दी जावे। अत: प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण को दावा वापस लेने की अनुमति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नक्लसे कम हो। एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सतीश कुमार शर्मा, P30) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत

3

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) खेडाबाढ रामगढ

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. नसरूद्दीन पुत्र हजारी मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. हबीब पुत्र हजारी मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी ---वादीगण

बनाम

1. बाकिर पुत्र हकीम, मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. आबिद पुत्र हकीम मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गगापुर सिटी
3. खेरूनिशा बेबा हकीम मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. सरकार जरिए लैंड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ---प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 69/2014

वादीगण की ओर से वादी नसीरद्दीन और हबीब की व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी बाकिर, आबिद, खेरूनिशा की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 03.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण वाद को चलाना नही चाहते है। अतः वादीगण को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 03.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प, अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

प्रपत्र–4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)
केम्प कोर्ट का स्थान :– [illegible]

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 3/6/15

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,
गंगापुर सिटी
नसरूद्दीन आदि बनाम वाजिद आदि
प्रकरण संख्या – 69/2014 अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T. Act

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री नसरूद्दीन, हबीब पुत्रान इमामी
... है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो ... अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
... आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :–

[illegible]

श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तरदीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रतिवादी पक्ष 1. [illegible] वाजिद पुत्र इस्लाम
2. [illegible] आबिद पुत्र इस्लाम
3. [illegible] खेमराज
4. नि० खेमराज

नसरूद्दीन पुत्र इमामी
हबीब पुत्र इमामी

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
नाम [illegible] (प्रतिवादी पक्ष) नाम [illegible]

प्रधानाध्यापक
राजकीय बालिका उच्च प्राथ० विद्यालय
खेडाबाढ़ रामगढ़, पं०स० गंगापुर सिटी (स०मा०)

वादी नसरूद्दीन, हबीब एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी वाजिद, आबिद, खेमराज
... द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना ... गया। अतः राजीनामा हरबख्वाहिश पक्षकार तरदीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

(सतीश कुमार शर्मा, एड०)
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
अध्यक्ष
लोक अदालत